

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)  
पत्रांक: स्था० 02/02-02/2016/.....०४..... /पटना, दिनांक... २४-०५-१७

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),  
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार,  
पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना  
एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0001 सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अन्तर्गत कुल  
राशि ₹ 90,5000/- (नब्बे लाख पाँच हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि०  
दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के  
लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति  
प्रदान की जा चूकी है।

2. उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय  
किया जा सकता है।

3. तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार  
व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।

4. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी,  
111- जन्म-मृत्यु सांख्यिकी, 0001-सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही  
है, जिसका मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454021110001 है।

5. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (आहरण एवं  
व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

6. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की  
संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी  
की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित  
राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं  
व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी  
एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट  
शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में  
रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।



9. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

बजट सहायक  
ज्ञापांक

प्रशाखा पदाधिकारी  
०४

१५/२४५/१८  
सहायक निदेशक

१५/२४५/१  
निदेशक

ज्ञापांक ..... ०४ ..... /पटना, दिनांक ..... २४ ..... ०५ ..... १८ .....

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१५/२४५/११  
निदेशक

ज्ञापांक ..... ०४ ..... /पटना, दिनांक ..... २४-०५-१८ .....

प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१५/२४५/१  
निदेशक

ज्ञापांक ..... ०४ ..... /पटना, दिनांक २४-०५-१८ .....

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।  
2. वरीय संयुक्त निदेशक /सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।  
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

१५/२४५/११  
निदेशक

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 111-जन्म-मृत्यु सांख्यिकी, उप शीर्ष- 0001- सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अंतर्गत चित्तीय वर्ष 2017-18  
का आवंटन विवरणी । माग सं0 35 एवं विपत्र कोड-35-3454021110001

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जि-ने आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 चेतन	01-03 जीवन ध्यान भूता	01-04 प्रकान क्रिया भूता	01-05 परिवहन भूता	01-06 विक्रित्सा भूता	01-07 अन्य भूता	06-01 चिकित्सा प्रतिरूपि	11-01 योग-एवं शर्ते	13-01 वेतन एवं शर्ते	13-03 दूरधारा व्यय	13-04 विषुव प्रभार	13-05 वरदी/प्रशासक	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-02 व्यवसायिक सेवाएं/संविदा सेवाएं	कुल योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	3000000	4200000	600000	75000	30000	-	7905000	400000	200000	500000	-	-	-	-	-	9005000	
	कुल योग:-	3000000	4200000	600000	75000	30000	0	7905000	400000	200000	500000	0	0	0	0	0	9005000	

(नब्बे लाख पाँच हजार) रुपये मात्र।

बजट सहायक  
प्रशासक विद्यालयकारी

प्रशासक  
सहायक

प्रशासक  
सहायक

निदेशक  
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

निदेशक  
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय